सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 17/2014 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2014/00038

अनवान

1. श्री पांचा पिता नाना खेर, निवासी राणपुर, तहसील झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री वाला पिता नाना खेर, निवासी राणपुर, तहसील झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर (राज0)
3. भेरा पिता नाना खेर, निवासी राणपुर, तहसील झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर (राज0)
4. बाबु पिता भेरा खेर, निवासी राणपुर, तहसील झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर (राज0)
5. दल्ला पिता भेरा खेर, निवासी राणपुर, तहसील झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर (राज0)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री जालमचन्द पिता अम्बावा गमेती, निवासी राणपुर, तहसील झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर (राज0)
2. सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री कमलेश पटेल, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 08-08-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि आराजी संख्या 842 रकबा 0.4600 हेक्टेयर, आराजी सख्या 1237 रकबा 0.0500 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.5100 हेक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम राणपुर, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर में स्थित होकर प्रार्थीगण का विगत लगभग 200 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल के समक्ष गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर स्वयं के नाम पर वर्ष 1992 में उक्त भूमि का आवंटन करवा लिया। आवंटन से पूर्व आवंटन शर्तो की पालना नही की गयी, न ही आवंटन प्रक्रिया का अनुसरण किया गया। आवंटन के पश्चात् भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा कोई काश्त नही की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त कराने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की

ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किया कि मौजा राणपुर, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 842 रकबा 0.4600 हेक्टेयर एवं आराजी सख्या 1237 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, कुल किता 02 रकबा 0.5100 हेक्टेयर भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को नियमानुसार किया गया है एवं नियमानुसार आवंटन उपरान्त नियमानुसार आवंटन शर्तो की पालना की गयी है। आवंटन पश्चात् विपक्षी द्वारा उक्त भूमि पर दो पक्के कमरे बनवाये गये है, जिस पर वह अपने परिवार सहित निवास कर रहा है एवं काश्त भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवंटन निरस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना करने से विपक्षी संख्या 1 को विवादित आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त आवंटन निरस्ती का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। अतः इस प्रकार कथित आवंटन नियमानुकुल होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार झाड़ोल द्वारा प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति व्यक्त करने से मामले में दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी। तहसीलदार झाड़ोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 125 दिनांक 17.01.2019 से प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा राणपुर, तहसील झाड़ोल की आराजी सख्या 842 रकबा 0.4600 हेक्टेयर एवं आराजी सख्या 1237 रकबा 0.0500 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.5100 हेक्टेयर में से 842 रकबा 0.4600 हेक्टेयर के आडी सडक से पूर्व में रास्ते के दक्षिण में स्थित 0.3000 हेक्टेयर भूमि पर नकला, दल्ला, बाबू पिता भेरा खेर काबिज है। इस भूमि के उत्तर में रास्ता आडी सडक से नदी की तरफ जा रहा है जिसका रकबा 0.0200 हेक्टेयर है। रास्ते के उत्तर पश्चिम् में जालमचन्द पिता अम्बावा का मकान बना हुआ है जिसका रकबा 0.0100 हेक्टेयर है। मकान के समानान्तर उत्तर में 0.0400 हेक्टेयर भूमि मौके पर पडत है, जिस पर विपक्षी संख्या 1 स्वयं का कब्जा बता रहा है। शेष भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 श्री पांचा पिता नाना खेर, निवासी राणपुर का कब्जा है, जिसका कब्जा 0.0900 हेक्टेयर है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1237 रकबा 0.0500 हेक्टेयर पर विपक्षी संख्या 1 श्री जालमचन्द पिता अम्बावा गमेती का कब्जा है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में उपखण्ड अधिकार झाड़ोल से आवंटन पत्रावली संख्या 651/1992 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कर विपक्षी द्वारा आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन से कराना, आवंटन नियमों की पालना न होना, प्रार्थीगण का 200 वर्ष पुराना कब्जा होना, पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार करना, विपक्षी के पास पूर्व से जमीन होना, मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण का कब्जा पाया जाना आदि आधारों पर विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मामले में श्री मंगला पिता थावरा गमेती, मंगा पिता

तेजा गमेती, भीमा पिता फुला गमेती, वेलाराम पिता नाना गमेती, नक्का पिता भुरा गमेती आदि व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश किये।

विपक्षी के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विपक्षी का पुराना कब्जा होना, आवंटन में कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी को आवंटित भूमि पर स्वयं का 200 वर्ष पुराना कब्जा बताया जा रहा है, किन्तु इसकी पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया है। विपक्षी द्वारा नियमानुसार आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन कमेटी के राय के आधार पर आवंटन किया गया है, जो नियमानुसार है। आवंटन में कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तु नही किया है। आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में 14 (4) की कार्यवाही उचित नही है। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

- आर.आर.टी 2016 (2) पृष्ठ 769
- आर.आर.टी. 2011 (1) पृष्ठ 383

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांतों आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति से यह ज्ञात होता है कि आवंटी श्री जालमचन्द पिता अम्बावा गमेती द्वारा मौजा राणपुर, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 842 रकबा 0.4600 हेक्टेयर, आराजी सख्या 1237 रकबा 0.0500 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर उनका 200 वर्ष पुराना कब्जा होना अवश्य बताया है, किन्तु इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज उनके द्वारा पेश नही किया गया है। यदि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होता तो उनके पास अन्तर्गत धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नोटिस मौजूद होते। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने में असफल रहे है। खसरा गिरदावरी एवं पत्रावली के अवलोकन उपरान्त ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नही है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आवंटन में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो या आवंटन शर्तो की पालना नही हुयी हो। चूकिं उक्त विवादित आराजीयात पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने के उपरान्त ही देय होते है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानान्तर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जाने चाहिये।

विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते है। इस प्रकार आवंटन बहाल रखे जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा राणपुर, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 842 रकबा 0.4600 एवं 1237 रकबा 0.0500 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.5100 हेक्टेयर भूमि भूमि पर उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा विपक्षी के पक्ष में दिनांक 18.06.1992 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर